


## कैंटीन सेवाएँ प्रदान करने हेतु सूचना (वर्ष 2023-2024) हेतु

केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, कोलागढ़ रोड, देहरादून भवन में भूतल पर एक निर्दिष्ट कैफेटेरिया स्थान है जिसमें पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से सुसज्जित रसोई क्षेत्र है। कैफेटेरिया में काफी बड़ा क्षेत्र है और बैठने की पर्याप्त खुली जगह है।

विद्यालय में लगभग 2000 विद्यार्थी छात्र और 75 कर्मचारी (लगभग) कार्यरत हैं। समय-समय पर के.वि.सं निर्देशानुसार सम्भावित विभिन्न प्रतियोगिताओं, इन-सर्विस कोर्स, खेलकूद प्रतियोगिताओं इत्यादि का आयोजन किया जाता है। उक्त हेतु खाद्य पदार्थों को गुणवत्ता और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को पूरा करना होगा। अतः यह उम्मीद की जाती है कि बोली जमा करते समय बोली लगाने वाले भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/मानदंडों की गंभीरता पूर्वक पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

विस्तृत विवरण और निविदा प्रपत्र केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी कोलागढ़ रोड, देहरादून की वेबसाइट (<https://ongcdehradun.kvs.ac.in/>) से प्राप्त किए जा सकता है।

सभी प्रकार से विधिवत पूर्ण किए गए निविदा दस्तावेज अंतिम दिनांक **21.10.2023 3.00 बजे अपराहन** तक या उससे पहले **रजिस्टर्ड डाक** द्वारा विद्यालय में पहुंच जाने चाहिए। दस्ती या अन्य माध्यम से प्रेषित किये गए निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। **अंतिम तिथि के बाद प्राप्त डाक स्वीकार्य नहीं होगी**। विद्यालय किसी भी डाक विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

  
29/09/2023  
प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी

कोलागढ़ रोड, देहरादून  
प्राचार्य / Principal  
केन्द्रीय विद्यालय, ओ.एन.जी.सी.  
Kendriya Vidyalaya, O.N.G.C.  
देहरादून / Dehradun

## कार्य का विवरण:- (वर्ष 2023-24)

लगभग 2000 छात्रों और 75 कर्मचारियों के लिए भोजन/नाश्ते (भोजन, नाश्ता, चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थों की तैयारी और आपूर्ति) के लिए केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी कोलागढ़ रोड, देहरादून में कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी प्रतिष्ठा, साख और मजबूत वित्तीय स्थिति वाली अनुभवी एजेंसियों से मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. बयाना राशि - 5,000/- रुपये (केवल पांच हजार रुपये)
2. अनुबंध की अवधि- 01 (एक ) वर्ष।
3. निविदा दस्तावेज की लागत (अप्रतिदेय) - रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र)
4. सुरक्षा राशि (अनुबंध असाइनमेंट के बाद) - रु. 20,000/-
5. कैंटीन के लिए लाइसेंस शुल्क रु. 10,000/- प्रति माह।
6. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय- **21.10.2023 अपरहान 3.00 बजे तक**
7. निविदा खोलने की तिथि और समय- **22.10.2023 प्रातः 10.30 बजे**

### तकनीकी आवश्यकताएं:

(अ) ठेकेदार के पास लगभग 100-200 व्यक्तियों के लिए कार्यालय कैंटीन/छात्रावास कैंटीन/संस्थागत खानपान सेवाओं को सफलतापूर्वक चलाने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(ब) ठेकेदार को कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे

- (1) कैटरिंग सेवाओं में ट्रेड लाइसेंस।
- (2) नवीनतम वैध आयकर प्रमाणपत्र।
- (3) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिवत सत्यापित।
- (4) वर्तमान अनुबंध कार्यों सहित निष्पादित समान कार्यों की सूची।
- (5) एफएसएसएआई पंजीकरण प्रमाण पत्र

पात्रता मानदंड, कार्य/सेवाओं का दायरा और अनुबंध के नियम और शर्तों का वर्णन करने वाले निविदा दस्तावेज स्कूल की वेबसाइट <https://ongcdehradun.kvs.ac.in/> पर उपलब्ध होंगे। निविदा शुल्क, गैर-वापसी योग्य शुल्क रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) डीडी के माध्यम से. प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के पक्ष में देय होगा।

एजेंसी के पास देहरादून या अन्य शहरों में फैले विभिन्न केंद्रों पर सरकारी विभागों/पीएसयू/कॉर्पोरेट कैंटीन आदि के लिए संस्थागत/पेशेवर खानपान में **कम से कम 01 वर्ष** का अनुभव और विशेषज्ञता होनी चाहिए। एजेंसी के पास संभावित मेनू के अनुसार मानक गुणवत्ता वाले स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता भी होनी चाहिए।

कार्य को पूरा करने के लिए एजेंसी के पास पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी क्षमता होनी चाहिए।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

## निविदा जमा करने और खोलने की प्रक्रिया।



### अ) निविदाओं को प्रस्तुत करना/निविदा को सील करना और चिह्नित करना।

निविदाकार तकनीकी पैकेज और वित्तीय पैकेज को अलग-अलग लिफाफे में सील करेगा, लिफाफे को तकनीकी पैकेज (लिफाफा नंबर 1) और वित्तीय पैकेज (लिफाफा नंबर 2) के रूप में विधिवत बनाएगा और उन्हें एक बड़े लिफाफे में रखेगा और उन्हें सील कर प्रेषित करे।

इस बड़े लिफाफे के ऊपर " केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी में कैंटीन सेवाओं के लिए निविदा बोली" लिखा होना चाहिए और इसे निम्नलिखित पते पर के.वि.ओएनजीसी, कोलागढ़ रोड ,देहरादून को संबोधित किया जाना चाहिए:

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी,  
कोलागढ़ रोड ,देहरादून -248195

### (१) तकनीकी पैकेज:

तकनीकी पैकेज में निम्नलिखित दस्तावेज़ होंगे:

अ) निविदा दस्तावेज़ का अनुलग्नक -।

ब) अनुलग्नक -। के अनुसार सभी संबंधित दस्तावेज़ (अनुभव और तकनीकी दक्षता)

स) प्रत्येक पृष्ठ पर अनुबंध के नियम और शर्तें हस्ताक्षरित हो।

### (२). वित्तीय पैकेज:

वित्तीय पैकेज में निम्नलिखित दस्तावेज़ होंगे:

अ) निविदा दस्तावेज़ का अनुलग्नक- II , III व IV

ब) निविदाकर्ता का नाम और पता ताकि निविदा न खोलने का निर्णय होने की स्थिति में उसे बिना खोले वापस किया जा सके।

### ब) महत्वपूर्ण नोट्स-

१.\*निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक आइटम के सामने उल्लिखित आधार दर से नीचे Quoted दरों को अव्यवहारिक माना जाएगा और प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

२.. \*\* Quotedदरों में जीएसटी (यदि कोई हो तो) और अन्य करों सहित सभी वैधानिक कर शामिल होने चाहिए। सभी निविदाकारों को अनुलग्नक- II व III क्रम संख्या 01 से 20 व 01 से 05 क्रमशः तक प्रत्येक आइटम के लिए अपनी कीमत Quote करनी होगी। प्रत्येक आइटम की अपनी Quoted दर होनी चाहिए और आवंटित बॉक्स/cell को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा में निर्धारित किये गये मूल्य को स्वतः अधिकतम दर के रूप में माना जाएगा।

३.. L-1 का निर्णय निविदाकर्ता द्वारा आइटम क्रम संख्या 01 से 20 व 01 से 05 पर Quoted दरों के Annexure-II व Annexure-III क्रमशः के आधार पर किया जाएगा।

४.. निविदाकर्ता को निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ना और उनसे सहमत होना होगा और "अनुबंध की शर्तें" के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा।

५. जिस किसी भी पार्टी भी पार्टी को अनुबंध मिलता है, उसे अपनी लागत पर नोटरी के माध्यम से के.वि.ओएनजीसी, देहरादून के साथ समझौता करना होगा।

६. केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

७. केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून भी न्यूनतम दर स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। टेलेक्स/फैक्स/ई-मेल ऑफर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एव फ़र्म की मोहर 3/15

8. इस समझौते के नियमों और शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेदों को अध्यक्ष, वीएमसी, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादूनको भेजा जाएगा, जो इसके अनुसार एकमात्र मध्यस्थ होंगे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, अध्यक्ष, वीएमसी, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादूनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

**स) देर से प्राप्त निविदाएं:**

1. निविदाएं केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी के कार्यालय में निर्धारित तिथि और समय तक पहुंचनी चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून, अपने विवेक से निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून और निविदाकर्ता के सभी अधिकार और दायित्व पहले मूल समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद विस्तारित समय सीमा के अधीन होंगे।
2. यदि निविदाएं समय सीमा के बाद केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादूनको प्राप्त होती हैं तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।



  
29/09/23

प्राचार्य

केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी  
कोलागढ़ रोड, देहरादून


फ़ोन-7015242559

केन्द्रीय विद्यालय, ओ.एन.जी.सी.  
Kendriya Vidyalaya, O.N.G.C.  
देहरादून/Dehradun

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फ़र्म की मोहर

# अनुबंध की नियम एवं शर्तें/(Terms & Conditions)

(2023-24)



## 1.0 परिभाषाएँ

KV ONGC का मतलब केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून है।

'ठेकेदार' का अर्थ खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए सफल बोली लगाने वाला है।

'प्रभारी अधिकारी' का अर्थ है प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून

## 2.0 कैंटीन सेवाएँ

केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी देहरादून में ग्राउंड फ्लोर पर निर्दिष्ट कैफेटेरिया स्थान पर सेवाएं, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं से सुसज्जित रसोई क्षेत्र के साथ विद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त खुली जगह बैठने की जगह है।

### 2.1 प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

ठेकेदार, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा अनुमोदित अन्य कर्मचारियों के लिए ताजा और पौष्टिक भोजन/नाश्ता/पेय पदार्थ तैयार करेगा और परोसेगा।

### 2.2 मेनू एवं गुणवत्ता

ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला भोजन/नाश्ता अनुलग्नक- II, III व IV में दर्शाए अनुसार निर्धारित कीमतों के प्रकार और मात्रा में होगा।

### 2.3 कचचे माल और तैयार उत्पादों की गुणवत्ता

भोजन अच्छा, पौष्टिक और केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा अनुमोदित सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होना चाहिए। खाना पकाने के लिए कचचे माल और अन्य सामग्री का उपयोग करने से पहले, ठेकेदार उनकी गुणवत्ता और पूर्णता सुनिश्चित करेगा। केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून को अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, खाना पकाने के लिए कचचे माल, सामग्री, खाना पकाने की व्यवस्था और तैयार खाने की वस्तुओं की अपनी सुविधानुसार परीक्षण जांच करने का अधिकार होगा और खाना पकाने या कचचे माल को पूरा करने का पूर्ण अधिकार होगा।

### 2.4 सेवा बिंदु एवं समय

2.4.(1) कैंटीन परिसर में सोमवार से शनिवार तक कार्यालय समय के दौरान और केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून की आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर अग्रिम रूप से सूचित किए जाने वाले समय पर खानपान सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

2.4.(2) इसके बाद किसी भी बात के बावजूद, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून को आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य दिवस या छुट्टियों पर किसी भी समय कैंटीन का उपयोग करने का अधिकार होगा।

## 3.0 ठेकेदार के दायित्व

3.1 केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून की संपत्ति के किसी भी उपकरण की क्षति, टूट-फूट या हानि के लिए ठेकेदार को अपनी लागत पर इसकी भरपाई करनी होगी।

3.2 केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून अपने अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/कैंटीन प्रबंधन समिति (सीएमसी) के माध्यम से बिना किसी पूर्व सूचना के हर समय कैंटीन, स्टोर, उपकरण और भोजन की पूर्णता, स्वच्छता, गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.3 ठेकेदार पूरे परिसर, बर्तन, क्रॉकरी आदि को साफ, स्वच्छ और स्वच्छ रखेगा। वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित डिटर्जेंट और अन्य आवश्यक वस्तुएं अपने स्वयं के खर्च पर उपयोग करेगा और उपलब्ध कराएगा। वह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन परिसर के फर्नीचर, क्रॉकरी और कटलरी, बर्तन, रसोई पेंटी, वॉश बेसिन, शौचालय

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

मूत्रालय, जल निकासी प्रणाली को प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार स्वच्छ तरीके से धोया और साफ किया जाए।

यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह मुख्य कैंटीन और पेंट्री को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखे, इस उद्देश्य के लिए उसे पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। उन्हें समय-समय पर अद्यतन होने वाली सरकारी अधिसूचना के अनुसार कोविड के अनुरूप मानदंडों को बनाए रखना चाहिए।

३.४ ठेकेदार कैंटीन परिसर या उसके किसी भी हिस्से को रहने के लिए उपयोग नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा और वैध प्राधिकार के बिना किसी बाहरी व्यक्ति को कैंटीन भवन में और उसके आसपास घूमने की अनुमति नहीं देगा।

३.५ ठेकेदार कैंटीन सेवाएं प्रदान करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए अनुबंध के नियमों और शर्तों के खंड -5 और 6 (केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादूनकी सहायता) में उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुविधा, उपकरण, उपकरण का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा। केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून आवश्यकता के अनुसार।

३.६ ठेकेदार, उस स्थिति में, किसी अन्य ठेकेदार को संपर्क या अनुबंध का हिस्सा उप-किराए पर नहीं देगा बिना कोई नोटिस दिए अनुबंध रद्द किया जा सकता है और प्रदर्शन सुरक्षा जब्त कर ली जाएगी।

#### **४.० श्रम का नियोजन**

४.१ ठेकेदार अपनी लागत पर कैंटीन सेवाओं के सुचारू और कुशल संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में कैंटरिंग स्टाफ जैसे पर्यवेक्षक, रसोइया, सहायक, सेवा देने वाले लड़के, सफाई कर्मचारी और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा। ठेकेदार उनके वैधानिक वेतन, पीएफ, बोनस, मेडिकल, वर्दी और अन्य सभी भुगतानों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा और उनके संबंध में सभी वैधानिक कानूनों, नियमों और विनियमों का पूर्ण अनुपालन करेगा यदि लागू हो।

४.२ ठेकेदार को मजदूरी/वेतन और अन्य भुगतान का नियमित और पूर्ण भुगतान करना होगा कर्मचारी और प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा मांगे जाने पर आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

४.३ ठेकेदार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। अधिकारी समय-समय पर, पीएफ और ईएसआई योगदान, छुट्टी, वेतन, वैधानिक काम के घंटे आदि का निरीक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

४.४ ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की व्यवस्था करेगा, और गेट प्रवेश के लिए कैंटीन कर्मचारियों की तस्वीरों वाले पहचान पत्र जारी करेगा, जो काम के घंटों के दौरान इसे प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे। कैंटीन कर्मचारी प्रवेश/निकास पर तलाशी के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

४.५ ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कैंटीन कर्मचारी अपने काम के घंटों के दौरान साफ-सुथरे कपड़े पहनें साफ-सुथरी वर्दी/उचित पोशाक और ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए गए स्वच्छ दस्ताने का उपयोग करें। किसी भी कैंटीन कर्मचारी को वर्दी/उचित पोशाक के बिना अपनी ड्यूटी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

४.६ ठेकेदार के कर्मचारियों की वर्ष में एक बार ठेकेदार के खर्च पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा जांच की जाएगी। कर्मचारियों को सभी संचारी, संक्रामक संक्रमणों और अन्य बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी के चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाए जाने की स्थिति में, ठेकेदार उसे बदलने की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार को साल में एक बार मेडिकल रिपोर्ट जमा करनी होगी।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फ़र्म की मोहर

## ५.० ठेकेदार का दायित्व

ठेकेदार किसी भी और सभी करों के भुगतान या उसके बाद समय-समय पर लगाए गए, बढ़ाए या संशोधित किए गए और सभी आयकर, बिक्री कर जो अब लागू हैं और इसके बाद बढ़ गए हैं और बेरोजगारी मुआवजे, बीमा के लिए सभी योगदान और करों के भुगतान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। और वृद्धावस्था पेंशन या वार्षिकियां अभी या उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाएंगी। या राज्य सरकार, प्राधिकारी जो ठेकेदार द्वारा नियोजित व्यक्ति को भुगतान किए गए वेतन, वेतन या अन्य मुआवजे के संबंध में लगाए गए हैं या इसके अंतर्गत आते हैं।

## ६.० क्षतिपूर्ति के प्रति ठेकेदार का दायित्व

६.१ ठेकेदार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत किसी भी दावे के खिलाफ केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून को क्षतिपूर्ति देगा और/या न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 या किसी अन्य अधिनियम से उत्पन्न कोई वैधानिक दायित्व या कार्य या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति की ओर से।

६.२ ठेकेदार केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून और उसके प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी को भी क्षतिपूर्ति देगा केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून सभी कार्रवाइयों, कार्यवाहियों, दावों, लागत और खर्चों के संबंध में या उत्पन्न होने के खिलाफ इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन में ठेकेदार द्वारा किसी भी विफलता से।

## ७.० केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून सहायता

७.१ केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून, ठेकेदार को निम्नलिखित सुविधाएं और/या उपकरण निःशुल्क प्रदान करेगा कैंटीन सेवाएँ प्रदान करने का एकमात्र उद्देश्य-

(१) कैंटीन के लिए प्रति माह 10000/- (दस हजार रुपये) के टोकन लाइसेंस शुल्क पर किचन पेंटी के साथ कैंटीन परिसर उपलब्ध कराया जायेगा। लाइसेंस फीस हर महीने की 10 तारीख से पहले स्कूल वीवीएन खाते में जमा करानी होगी। हालाँकि पार्टी इसका भुगतान अग्रिम रूप से भी कर सकती है।

(२) प्रकाश व्यवस्था के लिए सामान्य विद्युत आपूर्ति। किसी भी भारी विद्युत उपकरण की स्थापना के मामले में पार्टी को प्रिंसिपल से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

(३) पानी (पीने और धोने के लिए)।

## ८.० सुरक्षा जमा

कैंटीन के लिए, अनुबंध की अवधि के दौरान, व्याज मुक्त प्रदर्शन सुरक्षा जमा के रूप में ठेकेदार को केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के पास 20,000/- रुपये (केवल बीस हजार रुपये) की राशि जमा करनी होगी।

## ८.० ठेकेदार का भुगतान

८.१ ठेकेदार द्वारा प्रभावित क्रेडिट बिक्री, यदि कोई हो, उसके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगी और केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून किसी भी तरह से इन लेनदेन में ऐसे बकाया की वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

८.२. हालाँकि, ठेकेदार आधिकारिक प्रयोजनों के लिए परोसी गई वस्तुओं के बिल समय-समय पर संबंधित अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित उचित बिल में प्रस्तुत करेगा। यदि बिल प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून उचित समय के भीतर ऐसे बिलों का निपटान करेगा।

८.३ केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में/या अन्यथा ठेकेदार से किसी भी व्यक्ति को देय किसी भी राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और न ही उक्त खाते के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार होगा।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एव फर्म की मोहर

## **९.०. अनुबंध की अवधि**

९.१. अनुबंध की अवधि ठेकेदार द्वारा अनुबंध करने की तिथि से प्रथम बार में 01 वर्ष होगी। केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के पास ठेकेदार की आपसी सहमति से अनुबंध को एक वर्ष और बढ़ाने का विकल्प होगा या नियमों और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के इस अनुबंध को निर्धारित समय से पहले समाप्त कर सकता है।

९.२. ठेकेदार को ठेका मिलने और आगे बढ़ने का नोटिस मिलने के एक सप्ताह के भीतर कब्जा लेना होगा और काम करना शुरू करना होगा।

९.३. अनुबंध निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगा और इसकी समाप्ति पर, इसे स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके अलावा, ठेकेदार के पास किसी अन्य अवधि के लिए किसी नए अनुबंध की मांग करने या किसी अन्य इच्छुक पार्टी को प्राथमिकता देते हुए इसे जारी रखने का कोई संविदात्मक या न्यायसंगत अधिकार नहीं होगा।

९.४. ऊपर उल्लिखित खंडों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की स्थिति में, इसे अध्यक्ष, वीएमसी, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून को भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों को मान्य होगा।

## **१०.० कार्य का दायरा (Scope of Work)**

१०.१ पकाया और परोसा गया सभी सामान अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। भोजन/नाश्ते और अन्य वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता केविओ द्वारा अनुमोदित होगी। भोजन/नाश्ता तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा Annexure-II, III व IV में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होगी।

## **११.० दायित्व (Liability)**

११.१ आवश्यकतानुसार पर्याप्त जनशक्ति बनाये रखें।

११.२. ठेकेदार अनुबंध के बाद अपने कर्मचारियों के नाम और पते के साथ-साथ उनकी उचित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट की सूची भी प्रस्तुत करेगा।

## **१२.० सामग्री**

१२.१ ठेकेदार अच्छी गुणवत्ता की नियंत्रित वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं की तैयारी के लिए आवश्यक न्यूनतम 7 दिनों के कच्चे माल का स्टॉक अपनी लागत पर खरीदेगा और रखेगा। ठेकेदार स्थानीय सरकार द्वारा लागू दिशा निर्देशों का पालन करेगा। खाद्यान्न के भंडारण, भोजन की बिक्री आदि से संबंधित कानून और जहां भी लागू हो, सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंगे। केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून अपने विवेक पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी वस्तुओं की स्टॉक स्थिति की जांच कर सकता है जिसका उपरोक्त ठेकेदार द्वारा भंडारण किया जा रहा है।

## **१३.० विविध (Miscellaneous)**

१३.१ ठेकेदार कैंटीन और पेंट्री को साफ और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखेगा।

१३.२ ठेकेदार केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून की पूर्व अनुमति के बिना, कैंटीन के कामकाज से संबंधित नोटिस को छोड़कर, किसी भी प्रकार के मुद्रित या लिखित नोटिस या विज्ञापन को कैंटीन परिसर में प्रदर्शित नहीं करेगा या प्रदर्शित नहीं कराएगा।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फ़र्म की मोहर



## १४.० जुर्माना

१४.१ आपूर्ति न होने या आपूर्ति में देरी, भोजन की किनारे से आपूर्ति, मोबाइल सेवा के अनियमित और असामयिक चलने, निम्न प्रकार की सामग्री के उपयोग के संबंध में किसी भी शिकायत और/या समझौते की किसी भी शर्त के पूरा न होने की स्थिति में, सामान, खाने-पीने के कचरे माल, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून उपरोक्त उल्लिखित चूकों में से किसी एक के लिए उसकी प्रकृति के आधार पर जुर्माना लगा सकता है और लगाया गया जुर्माना लंबित बिलों से राशि काटकर या अन्यथा सुरक्षा जमा सहित वसूल किया जाएगा। किसी शिकायत को स्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी अनुभाग प्रमुख की लिखित शिकायत एक वैध दस्तावेज होगी। यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून की पूरी संतुष्टि के साथ यह साबित करे कि जुर्माना लगाने की जरूरत नहीं है। इस संबंध में केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा और यह विवाद या मध्यस्थता के अधीन नहीं होगा, एकमात्र मानदंड कंपनी के कर्मचारियों को शीघ्र और संपूर्ण सेवा सुनिश्चित करना है।

१४.२ कैंटीन में साफ-सफाई और स्वच्छता की स्थिति की कमी की स्थिति में, विद्यालय की स्वच्छता समिति द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर सुधारात्मक कार्रवाई होने तक ठेकेदार पर प्रतिदिन 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जा सकता है। उनके नियमित निरीक्षण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के संबंध में सभी मौजूदा नियमों और भविष्य के नियमों का ठेकेदार द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

१४.३ ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कैंटीन में शांति एवं व्यवस्था बनी रहे। यदि ठेकेदार की ओर से चूक के कारण कैंटीन में शांति भंग होती है, तो केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा ऐसी चूक के लिए 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिससे शांति/व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है।

१४.४ यदि केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी को पता चलता है कि कैंटीन चलाने वाले ठेकेदार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का दुरुपयोग/प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए कर रहा है जो अनुबंध के अंतर्गत नहीं आता है, तो केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा जो 1000/- (एक हजार रुपये) तक बढ़ सकता है।

१४.५ यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि परोसे गए भोजन/नाश्ते की मात्रा/गुणवत्ता अनुसूची-II, III व IV में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं है, तो रु. 500/- तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक अवसर और/या पुनरावृत्ति के लिए केवीओ द्वारा 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया जा सकता है।

१४.६ किसी सहायक/रसोइया या किसी अन्य कर्मचारी को शालीन वेशभूषा में ना पाए जाने की स्थिति में या ऐसे प्रत्येक अवसर/घटना पर केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) का जुर्माना लगा सकता है। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा कि सभी कर्मचारी सदस्य कार्यस्थल पर शालीन वेशभूषा में रहे।

१४.७ ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके किसी भी कर्मचारी को इमारत के भीतर बाहरी लोगों को भोजन बेचने की अनुमति नहीं है। यदि किसी कर्मचारी को भवन में अनधिकृत व्यक्तियों को भोजन बेचते हुए पाया जाता है, तो ठेकेदार केवीओ द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी के निर्देश पर ऐसे व्यक्ति को हटा देगा।

१४.८ ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित सभी कैंटीन कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारियों व विद्यार्थियों के साथ विनम्र और सभ्य व्यवहार करेंगे और अच्छे शिष्टाचार भी सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में उल्लंघन के किसी भी मामले में ठेकेदार ऐसे प्रत्येक अवसर पर रु. 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) के जुर्माने के लिए उत्तरदायी हो सकता है। ऐसे मामलों में ठेकेदार को प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के निर्देश पर संबंधित व्यक्ति को कार्य से हटाना होगा।

## **१५.० अनुबंध की समाप्ति**

१५.१ यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता और/या प्रदान की गई सेवाएँ असंतोषजनक हैं या ठेकेदार ने अनुबंध और समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उस स्थिति में, केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून इसे समाप्त करने का हकदार होगा। (किसी भी समय बिना कोई समय बताए, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी सूचना के)।

१५.२ यदि अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी चरण में ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के खिलाफ नैतिक अधमता से जुड़ा कोई मामला अदालत में स्थापित किया जाता है, तो केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून अनुबंध को सीधे समाप्त करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रखता है और ठेकेदार केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून से किसी भी तरह के मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

## **१६.० सामान्य:**

१६.१ ठेकेदार सुरक्षित प्रथाओं का पालन करेगा और खतरनाक और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों से बचेंगे और उत्तराखंड में समय-समय पर लागू सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।

१६.२. कैंटीन परिसर केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के कब्जे में होगा और ठेकेदार को केवल कैंटीन चलाने के लिए परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। यदि किसी भी समय अनुबंध समाप्त हो जाता है या केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी निर्णय लेता है कि ठेकेदार को कैंटीन चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो उस स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून ठेकेदार को भवन परिसर में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा। ठेकेदार को केवल उस कैंटीन परिसर का उपयोग करने की अनुमति होगी, जो केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून के कब्जे में है और ठेकेदार को कैंटीन परिसर और केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून द्वारा दी गई अन्य वस्तुओं में कोई अधिकार या हित नहीं होगा।

१६.३ ठेकेदार कैंटीन का उपयोग केवल समझौते/अनुबंध के प्रयोजन के लिए करेगा और वह केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून की लिखित अवधि की मंजूरी के बिना इसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन या अन्य परिवर्तन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं होगी।

१६.४ ठेकेदार और उसके कर्मचारियों का उनके पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन किया जाएगा।

१६.५ बिजली एवं पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए।

१६.६ केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून डाक द्वारा भेजे गए कोटेशन दस्तावेज़ की देरी, हानि या गैर-प्राप्ति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं रखता है।

१६.७ केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून बिना कोई कारण बताए कोटेशन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

१६.८ टेलेक्स/फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रेषित ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा पर कोई भी अपडेट केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, देहरादून वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और संभावित बोलीदाता केवीओएन जी सी देहरादून की वेबसाइट के साथ लगातार संपर्क में रह सकते हैं।

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

# घोषणा

में, .....पुत्र/पुत्री- .....  
जिला- ....., राज्य..... घोषणा करता हूँ कि मैंने पृष्ठ  
स. 01 से 15 तक में उल्लिखित अनुबंध के विस्तृत नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और उसका  
पालन करने के लिए सहमत हूँ।



स्टांप/मुहर और तारीख के साथ ठेकेदार के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम: .....

फर्म/प्रतिष्ठान का पता: .....

.....

.....

संपर्क विवरण: फोन नंबर.....

मोबाइल नं०.....

ईमेल आईडी.....

KENDIYA VIDYALAYA ONGC, DEHRADUN (Year 2023-2024)

TECHNICAL PACKAGE

ANNEXURE - I

1.Name of teh Tenderer.....

2.Address of the firm/Establishment .....

3. Contact Details : Phone No.....

mobile No .....

Email ID .....

**4. DETAILS OF WORK EXPERIENCE:**

sl.No.	worked with(Name of Organization)	Period	No. of served catering services	Staff with	Type of service/Office/Hostel/Hotel/Educational Instt.etc.	Whether experience certificate attached • (Yes/No

- Attach certificates issued by the organisation served

**5 . TECHNICAL COMPETENCE**

Sl. No	ITEMS	Whether supporting documents attached (Yes/No)	Details of Items (No. etc )	Remark ,if any
1	Trade Licence in catering services			
2	GST registration Certificate			
3	FSSAI registration Certificate			
4	Address proof of tehtenderer			
5	Demand Draft of Tender cost (Rs 500/-)			
6	Demand Draft of EMD cost (Rs 20000/-)			
7	PAN NO.			
8	ADDHAR NO.			

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एव फर्म की मोहर

FINANCIAL BID

ANNEXURE II

CANTEEN SERVICE AT KV ONGC DEHRADUN (YEAR 2023-2024)

THE TENDERERS ARE TO QUOTE THEIR RATES OF THE FOLLOWING ITEMS IN THE FOLLOWING PERFORMA. NO CELLS ARE TO LEFT BLANK. IN CASE ANY CELL FOUND BLANK IT WILL BE ASSUMED THAT THE TENDERERS IS AGREE TO PROVIDE THE ITEM ON BASE RATE

S.NO	ITEMS	QUANTITY WITH WEIGHT ETC	BASE PRICE	TENDERER RATE
1	HOT TEA	ONE CUP 125 ML	5.00	
2	HOT COFFEE	ONE CUP 125 ML	5.00	
3	SPL.HOT TEA	ONE CUP 150 ML	6.00	
4	SPL. HOT COFFEE	ONE CUP 150 ML	6.00	
5	SAMOSAS/ALOO BANDA/KACHORI	ONE PIECE – 100GM	5.00	
6	BREAD PAKORA	ONE PIECE – 100 GRAM	10.00	
7	VEG. PATIES	ONE PIECE ( 80 GMS )	10.00	
8	MATTHI	50 GMS (ONE PIECE )	05.00	
9	PASTRI (PINE APPLE )	ONE PIECE (STANDARD SIZE )	10.00	
1	PASTRI (CHOCOLATE )	ONE PIECE (STANDARD SIZE )	15.00	
0	MIX PAKORE	100 GRAM	10.00	
11	OMLETTE	ONE EGG	10.00	
12	OMLETTE	TWO EGG	20.00	
13	BOILED EGG	ONE EGG	10.00	
14	FRESH SWEET MILK	200 ML	10.00	
15	ORDINARY LUNCH PAKAGE	4 ROTI,RICE,ONE VEGITABLE DAL SALAD	20.00	
16	SPL . LUNCH PAKAGE	4 ROTI,PULAO, PANNER VEG. DAL SALAD.PAPAD, SWEET	35.00	
17	CHOLE/RAJMA/KADHI WITH RICE	HALF PLATE	15.00	
18	CHOLE/RAJMA/KADHI WITH RICE	FULL PLATE	25.00	
19	PACKED BRANDED ITEMS	AS PER MRP AND WEIGHT		
20	CANTEEN LICENCE FEE	ON THE BASIS OF PER MONTH	<b>RS 10000/-</b> MINIMUM	

CONTINUE ANEXURE - III

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

ANNEXURE III

KENDRIYA VIDYALAYA ONGC DEHRADUN  
REFRESHMENT /LUNCH/DINNER FOR MEETING/SEMINAR/INSERVICE COURSE /SPORTS MEET ETC. (2023-2024)  
MENU /FOOD CHART

	S.NO	ITEMS	ITEMS /MATERIALS & QUANTITY	TENDERER RATE per day/per head
<b>PART A</b>	1	BREAK FAST	1.MILK- 200ML OR MORE 2. BREADS WITH BUTTER & JAM ( 6 PCS) 3.IDLI & BADA WITH ( PCS 6)SAMBHAR/CHATNI DALIA/POHA( ANY ONE ) OR ALOO PARANTHA & CURD OR PURI +SABJI 4. TWO PC. OF BANANAS OR ONE PCS.OF APPLE(100GM )/SEASONAL FRUITS OR EGGS BOILED - 02 PCS. OR SPROUTS OR DRY FRUITS	
	2	LUNCH	1. CHAPATI (TAWA/ TANDOOR ETC.) 2. PLANE RICE/ JEERA RICE/RICE PULAB 3. DAAL OR RAZNA OR CHHOLE ( ANY ONE ) 4. MIXED VEG(SEASONAL VEG ) /KOFTA /BESON CURRY 5. PANEER VEG FOR VEGETARIAN 6. SALAD & PICKLE 7. PAPAD( BRANDED) 8. CURD/RAYTA 9. SWEET DISH /FRUITS CUSTARD/KHEER/FRUITS(ANY ONE ) AND EGG/FISH/CHICKEN/MOTTON CURRY(ONCE A DAY FOR NON VEGETARIAN)	
	3	EVENING (SNACKS & JUICE)	10. JUICE -150-200 ML (PACKED ) 11.SNACK – SANDWICH/SAMOSAS/AALOO 11. BONDA/PATTIES = 02 OR MORE(100-150 GRAM	
	( A )		Sub -Total योग ( 1 + 2 +3 )	
<b>PART B</b>	4	DINNER	1. CHAPATI (TAWA/ TANDOOR ETC.) 2. PLANE RICE/ JEERA RICE/RICE PULAB 3. DAAL OR RAZNA OR CHHOLE ( ANY ONE ) 4. MIXED VEG(SEASONAL VEG ) /KOFTA /BESON CURRY 5. PANEER VEG FOR VEGETARIAN AND EGG/FISH/CHIGKEN/MOTTON CURRY(ONCE A DAY FOR NON VEGETARIAN) 6. SALAD & PICKLE 7. PAPAD( BRANDED) 8. CURD/RAYTA 9. SWEET DISH /FRUITS CUSTARD/KHEER/FRUITS(ANY ONE ) 10.	
	5	NIGHT (BEFORE SLEEP)	11. MILK WITH FLAVOUR & SUGAR-200-250ML NINIMUM OR ICE – CREAM- 50-60 ML ( AS PER FEASIBILITIES/WEATHER )	
	( B )		Sub -Total योग ( 4 + 5 )	
		<b>कुलयोग प्रति व्यक्ति /प्रति दिन PER DAY/PER HEAD</b>	<b>G.Total ( A + B )</b>	

NOTE :- BEFORE QUOTED THE RATE MAY PLEASE READ THE INSTRUCTION CAREFULLY AS ANNEXURE - IV

निविदाकर्ता/बोलीदाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर

KENDRIYA VIDYALAYA ONGC DEHRADUN (2023-2024)

TERMS AND CONDITION& GENERAL INSTRUCTION

01. MAXIMUM BID LIMIT FOR ANNEXUR -III PART -A (SR. NOS.1,2 AND 3) (BREAK FAST, LUNCH & EVENING SNACK ETC ) IS RS 225/-per head /per day ( RS TWO HUNDRED TWENTY FIVE ONLY ) ( RATES SHOULD BE INCLUSIVE OF ALL expenditure & GST .SERVICE CHARGE /OTHER TAXES ETC.)
02. MAXIMUM BID LIMIT FOR ANNEXURE-III PART A + B (SR. NOS.1,2,3,4 & 5 ) (BREAK FAST, LUNCH EVENING SNACK , DINNER AND NIGHT BEFORE SLEEP ITEMS) FOR RS 325 /-per head /per day ( RS THREE HUNDRED TWENTY FIVE ONLY ) ( RATES SHOULD BE INCLUSIVE OF ALL Eexpenditur & GST .SERVICE CHARGE /OTHER TAXES ETC.)
03. MEAL SHOULD BE SERVED IN BUFFET SYSSTEM.
04. ALL BRANDED AND PACKED MATERIAL WILL USED FOR PREPARATION IN BREAKSAST/LUNCH/DINNER/OTHER
05. CLEAN DRINKING R.O WATER AND DISPENSER WILL BE PROVIDED BY THE CONTRACTOR AT DINING AREAS.
06. NO EXTRA CHARGES WILL BE PAID FOR LOADING/UNLOADING, HIRING CHARGES OF TEMPO CARRIER AND LOBOUR ETC .
07. MINIMUM 01 (ONE) YEARS EXPERIENCE SHOULD BE REQUIRED AS WORKED IN GOVT DEPTT/PSU/EDUCATIONAL INSITITUTE /KVs/ RECOGNISED CBSE SCHOOL IN SIMILAR FIELD .



निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर एव फ़र्म की मोहर